

10.02.2022 पत्रावली सेवा हुई। अधिवक्ता इमरतुल्ला अ.।

अधिवक्ता अमीरुल्ला ने कहल कले हुए

निवेदन किया कि न्यायालय सेवा हाव

पाएते सादेया दिनांक 05.07.2016 को


ता बाद फैलाला कंपाई किया जावे।


अमीरुल्ला की अमीरुल्ला को लीकर

किया जावे।

सेवा. अधिवक्ता ने कहल कले हुए

निवेदन किया कि अमीरुल्ला न्यायालय


Or


रजत अमीरुल्ला
बाजौर


हाय मपीलेंटिंग की युनवाइ का
समुचित समार किया गया मधीनस्थ
न्यायालय हाय मपीलेंटिंग कोर्ट
विवि हाय स्थापित प्रक्रिया का पालन
करते हुए पारित किया गया। अतः
मपीलेंट की मपीलेंट आरीज फरमाई
जावे।

मधीनस्थ उक्तपत्र की पत्रावली
पर बहल खुली गई। मपीलेंट
मधीनस्थ ने बहल बहल विवेक
किया कि मूल हाय मधीनस्थ
न्यायालय के समस्त विचारधीन है।

हाय विचारधीन होने से उक्तपत्र
के हिले का विद्यमान मूल सब
के निष्कारण पर ही देखेंगे।

अतः मपीलेंट की मपीलेंट खीबल
की जाती है तथा न्यायालय हाय
हाय पारित आदेश दिनांक 05.07.2016

को ता बाद कैसल का न्याय
किया जाता है। पत्रावली कैसल
शुभार बहल से कम होकर बाद
मपीलेंट दाखिल करे हो। आदेश
सरे इजलाहा खुनाया गया।


राजेश अमीन अधिकारी
बाइनेर